दिनांक- 18.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 746/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 18.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

दिनांक- 18.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 745/26

पुलिस अधीक्षक महोबा ने साप्ताहिक परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता एवं अनुशासन को परखा, ऑर्डली रूम में पत्रावलियों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस बल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाए रखने के साथ-साथ ड्यूटी के दौरान उच्च स्तर की परिचालन दक्षता एवं अनुशासन बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
- साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिसकर्मियों की टोलीवार दौड़ एवं ड्रिल कराई गई। दौड़ एवं ड्रिल के माध्यम से पुलिस बल की शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता, टीमवर्क, अनुशासन एवं त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का जायजा लिया गया। पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम एवं प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं को फिट रखने तथा विषम परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में शामिल पुलिसकर्मियों की वर्दी, टर्नआउट एवं अनुशासन का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस बल को ड्यूटी के दौरान अनुशासन, समयबद्धता, सतर्कता एवं उच्च कार्यक्षमता बनाए रखने के साथ ही आमजन के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा आदेश कक्ष में ऑर्डली रूम आयोजित किया गया। ऑर्डली रूम के दौरान अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए लंबित प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों से प्रकरणवार जानकारी प्राप्त कर लंबित मामलों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों एवं पत्रावलियों का नियमानुसार समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही अधीनस्थ पुलिसकर्मियों की समस्याओं एवं प्रकरणों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि पुलिस बल की कार्यक्षमता, अनुशासन एवं जवाबदेही को मजबूत बनाए रखना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। नियमित परेड, प्रशिक्षण एवं पत्रावलियों की समीक्षा के माध्यम से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने तथा पुलिसिंग की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिनांक- 18.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 747/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 18.09.2026 को थानाध्यक्ष श्रीनगर द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह मय हमराह का0 सूरज कुमार सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र हरिनाथ, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम गौरहारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा को निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे भण्डरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

योगेन्द्र कुमार पुत्र हरिनाथ, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम गौरहारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 162/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा
2. का0 सूरज कुमार सरोज, थाना श्रीनगर, जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 18.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 748/26

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय अवस्थित प्रधान लिपिक शाखा का किया गया अर्द्धवार्षिक निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 18.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय अवस्थित प्रधान लिपिक शाखा का अर्द्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा प्रधान लिपिक शाखा में प्रचलित समस्त पत्रावलियों, अभिलेखों एवं पंजिकाओं का गहनता से अवलोकन किया गया तथा लंबित प्रपत्रों/अहकमातों की स्थिति की समीक्षा की गयी। लंबित प्रकरणों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के क्रम में चरित्र पंजिकाओं में अंकित दण्ड, पदोन्नति, रिवार्ड आदि प्रविष्टियों का अवलोकन करते हुए समस्त अभिलेखों को नियमानुसार अद्यावधिक रखने के निर्देश दिये गये। साथ ही कार्यालय में रखे जाने वाले अभिलेखों एवं पत्रावलियों के उचित रख-रखाव, व्यवस्थित रख-रखाव, साफ-सफाई तथा अभिलेखों के सुरक्षित संरक्षण पर विशेष ध्यान देने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा शाखा में प्राप्त होने वाले पत्रों एवं प्रपत्रों के समयबद्ध निस्तारण, अभिलेखों के नियमित अद्यावधिकरण तथा कार्यालयीन कार्यों में नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही शाखा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को अपने-अपने दायित्वों का समयबद्ध एवं पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान श्री सुनील यादव, एएसआई (लिपिक) सहित प्रधान लिपिक शाखा में नियुक्त अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

दिनांक- 18.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 749/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा युवक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 16.09.2026 को वादी श्री संतोष कुमार राजपूत पुत्र कामता प्रसाद निवासी पलका, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा द्वारा अपने चचेरे भाई पुष्पेन्द्र राजपूत पुत्र कालका राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष निवासी पलका, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा के दिनांक 13.09.2026 को समय करीब 10:00 बजे कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर दी गयी थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी संख्या 53/2026 पंजीकृत की गयी थी। गुमशुदा पुष्पेन्द्र राजपूत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा युवक की सकुशल बरामदगी हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 18.09.2026 को उ0नि0 विनोद कुमार सिंह द्वारा हमराह पुलिस बल के साथ सूपा मंडी के पास कुलपहाड़ रोड महोबा से गुमशुदा पुष्पेन्द्र राजपूत को सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुमशुदा युवक को उसके परिजनों के सुपुर्द कर सकुशल एवं ससम्मान रुखसत किया गया।

गुमशुदा का विवरण-

पुष्पेन्द्र राजपूत पुत्र कालका राजपूत, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी पलका, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 18.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 750/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल व अवैध तमंचा बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना महोबकंठ पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा मय हमराह कां0 नितिन कुमार एवं रि0कां0 कौशिक सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 106/2026 धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित शातिर अभियुक्त शंकर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा को ग्राम रिवई मोड़ स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, चोरी की 01 अदद चैन पीली धातु वजन करीब 05 ग्राम 40 मिलीग्राम तथा 6,500 रुपये नगद बरामद किये गये। बरामद अवैध तमंचा एवं कारतूस के सम्बन्ध में थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 138/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.06.2026 को उसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिदवारा गेस्ट हाउस से 01 मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके अतिरिक्त दिनांक 23.06.2026 को थाना महोबकंठ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दिदवारा के एक घर में घुसकर दरवाजे की कुंडी तोड़कर आभूषण एवं 25,000 रुपये नगद चोरी किये थे।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना स्थान बदल-बदलकर रहता था तथा मोबाइल नम्बर भी बदलता रहता था।

अभियुक्त के विरुद्ध जनपद महोबा एवं जनपद हमीरपुर के विभिन्न थानों में आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त -

शंकर सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कुडार थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा

2.कां0 नितिन कुमार

3.रि0कां0 कौशिक सिंह

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर।

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

01 अदद चैन पीली धातु, वजन करीब 05 ग्राम 40 मिलीग्राम।

6,500 रुपये नगद।

01 अदद सीजशुदा मोटरसाइकिल।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 09/06, धारा 307 भादवि0, थाना खरेला।

2.मु0अ0सं0 22/11, धारा 380/411/417 भादवि0, थाना खरेला।

3.मु0अ0सं0 90/05, धारा 307 भादवि0, थाना खरेला।

4.मु0अ0सं0 501/11, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना खरेला।

5.मु0अ0सं0 753/11, धारा 110 जी सीआरपीसी, थाना खरेला।

6.मु0अ0सं0 822/12, धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट, थाना खरेला।

7.मु0अ0सं0 1051/12, धारा 10 यूपी गुण्डा अधिनियम, थाना चरखारी।

8.मु0अ0सं0 68/25, धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस, थाना अजनर।

9.मु0अ0सं0 73/25, धारा 109(1)/112/3(5)/313/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अजनर।

10.मु0अ0सं0 55/23 धारा 380/411/414/457/465/468/471 भादवि0 व 41 सीआरपीसी थाना खरेला।

11.मु0अ0सं0 04/24, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना खरेला।

12.मु0अ0सं0 06/24, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना खरेला।

13.मु0अ0सं0 107/16, धारा 120बी/392/411 भादवि0, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

14.मु0अ0सं0 488/16, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना राठ, जनपद हमीरपुर।

15.मु0अ0सं0 90/05, धारा 307 भादवि0, थाना खरेला।

16.मु0अ0सं0 105/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना महोबकंठ।

17.मु0अ0सं0 106/2026, धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना महोबकंठ।

18.मु0अ0सं0 138/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना महोबकंठ।